न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 24 / 2022

1 गिरवरदान उम्र 65 साल पुत्र सुरजनदान (मृतक)
1/1 श्रीमती गीरिजा कंवर पत्नी गिरवरदान सिंह
1/2 जगदीश दान पुत्र स्व. गिरवरदान सिंह
समस्त जाति चारण निवासी कैरपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 शक्तिदान उम्र 40 साल पुत्र सुरजदान जाति चारण निवासी कैरपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 चन्द्राराम उम्र 45 साल पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी कैरपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 अमरचन्द उम्र 35 साल पुत्र नारायण लाल जाति कुमावत निवासी कैरपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
5 महादेव प्रसाद उम्र 35 साल पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी कैरपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6 जीवणराम उम्र 35 साल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति कुमावत निवासी कैरपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 श्रीमती रामकंवर पत्नी तेजमालदान जाति बारेठ निवासी कैरपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
2 श्रीमती सिरेकंवर पत्नी गोपालदान जाति बारेठ निवासी कैरपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
3 श्रीमती गेंद कंवर पत्नी भवानीदान मृत
3/1 ओमप्रकाश पुत्र भवानीदान जाति बारेठ निवासी कैरपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
3/2 हनुमान पुत्र भवानीदान जाति बारेठ निवासी कैरपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
4 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

5 पटवारी हल्का लामिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1956 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 13.08.2009 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर राज. अन्तर्गत मुकदमा नं. 41/2008 बउनवानी श्रीमती राजकंवर बनाम तहसीलदार आदि

उपस्थिति :

1. श्री राजेश माथुर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

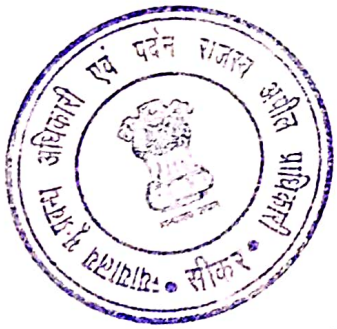

—निर्णय—

दिनांकः— 18/5/2

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 41/2008 में पारित निर्णय दिनांक 13.08.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 ने एक वाद रिकार्ड संशोधन व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 186 वाके ग्राम केरपुरा तहसील दांतारामगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि पुराना खसरा नम्बर 186 रकबा 7 बीघा किस्म चारागाह की स्थिति इस प्रकार थी कि जिलाधीश महोदय, उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार के आदेश दिनांकित 11.07. 1980 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 186 रकबा 7 बीघा में आबादी विस्तार हेतु आधार भूमि अर्थात 3 बीघा 10 बिश्वा भूमि की किस्म परिवर्तन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रसारित किया गया। उक्त आदेश के अनुसरण में नामान्तकरण संख्या 165 दिनांकित 01.08. 1980 तहसीलदार द्वारा स्वीकृत कर 3 बीघा 10 बिश्वा भूमि कि किस्म आबादी की जाकर खातेदार ग्राम पंचायत लामिया को घोषित किया गया तथा नवीन खसरा नम्बर 186/1 सृजित किए गए। तथा शेष आधी भूमि के नवसृजित खसरा नम्बर 186/2 की किस्म चारागाह रही। किन्तु उक्त अंकन राजस्व नक्शा में तरमीम नहीं किया जा सका था। सेटलमेंट के दौरान मौके पर आबादी के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 186/1 रकबा 0. 88 है. के नवीन खसरा नम्बर परिवर्तित किए गए। बाद में खसरा नम्बर 485 में से 0.09 है. भूमि ग्राम सेवा सहकारी समिति लांमियां को आवंटित होने से नवीन खसरा नम्बर 485/1 रकबा 0.09 है. किस्त गैर मुमकिन हुआ तथा शेष खसरा नम्बर 485 रकबा 0.64 है. गैर मुमकिन चारागाह बना था। विचारण न्यायालय ने यह माना कि आबादी विस्तार के आदेश में ग्राम पंचायत लामिया को आवंटित भूमि एक ही स्थान पर हुई है जबकि आबादी विस्तार हेतु आदेश दिनांकित 11.07.1980 में कही पर यह वर्णित नहीं था कि आबादी हेतु 1/2 भूमि एक ही स्थान पर आवंटित की जाती है एव ना ही इस बाद का अंकन नामान्तकरण संख्या 165 में किया गया था। बल्कि जिलाधीश आदेश 11.07.1980 में यह अंकित किया गया कि उक्त भूमि का किस्म परिवर्तन निम्न शर्तो की पूर्ति होने पर ही प्रभावशाली होगा। उक्त शर्तो में शर्त संख्या 3 इस प्रकार थी 'ग्राम पंचायत भूमि का एक नक्शा तैयार करेगी जिससे इस क्षेत्र के प्रस्तावित विभाजित प्लाटस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिखायेगी और यह नक्शा तहसीलदार से मंजूर करवाया जायेगा।' उक्त शर्त की पालना ग्राम पंचायत लामिया द्वारा नहीं की गई, ना तो कोई नक्शा तैयार किया गया व ना ही तहसीलदार से मंजूर करवाया था। इस प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली में नहीं है। तहसीलदार के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी कही पर यह अंकित नहीं है कि आबादी की भूमि एक साथ नक्शे में दर्शायी गयी है। नक्शा लट्ठा मे पेंसिली लाइन का गलत विधि विरूद्ध विवेचन किया गया है। अविलम्ब न्यायालय के समक्ष तहसीलदार की तथ्यात्मक रिपोर्ट में वर्णन किया गया कि खसरा नम्बर 488 रकवा 0.50 है. में से 0.08 है. भूमि पर वादीगण का कब्जा है, कच्चे मकानात वना रखे है, अपने पशु वांध रखे है एवं इसी रिपोर्ट में अकित किया गया कि खसरा नम्वर 482 रकवा 0.28 किस्म गेर मुमकिन आबादी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन वना हुआ है। इसी रिपोर्ट में अंकित किया गया कि सेटलमेंट के दौरान मौके पर आबादी के अनुसार नवसृजित खसरा नम्वर 486, 487 व 482 का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया गया है। इस रिपोर्ट का गलत अवलोकन करके विचारण न्यायालय ने खसरा नम्वर 482 रकवा 0.28 है. भूमि में एक राजकीय स्कूल जो कि सन 1983 से संचालित है को चारागाह घोषित करने का आदेश जारी कर दिया एवं एक अलग खससरा नम्वर 486 जिसका कोई विवाद ही नहीं था कि सम्पूर्ण भूमि 0.06 है. व खसरा नम्वर 485 में से रकवा 0.22 है. भूमि को आवादी भूमि घोषित करने का निर्णय कर दिया। जवकि खसरा नम्वर 486 के रकवे का कोई विवाद नहीं था एव ना ही इस संबंध में तहसीलदार के तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगायी गयी थी। इसलिए मौके पर मौजूद स्थिति के विपरित स्कूल के भवन की भूमि को चारागाह घोषित कर दिये जाने का चुनौतीग्रस्त आदेश निरस्त होने योग्य है। वादीगण ने अवैध कब्जा के पूर्व में खसरा नम्वर 485 चारागाह मे सड़क के उत्तरी तरफ कर लिया था जिसे ग्राम पंचायत लामिया ने ही दिनांक 23.02.2008 को हटा दिया था और इसी नाजायज अतिक्रमण को वैधानिक कब्जा बताने के लिए उक्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दुरूस्ती का दावा खसरा नम्बर 485 में से 0.22 हैक्टेयर भूमि आबादी घोषित करवाने के लिए खसरा नम्बर 482 रकबा 0.28 है. जहां राजकीय स्कूल संचालित है को चारागाह घोषित करवाने की साजिश के तहत प्रस्तुत किया गया है। इसलिये चुनौतीग्रस्त निर्णय डिक्री अपास्त होने योग्य है। वादीगण ने वादपत्र में अकित किया कि वे इसरदान जी के फुटस्टेप पर भूमि पर काबिज है जबकि खसरा गिरदावरियों में संवत 2009 से 2035 के मध्य खसरा संख्या 186 में भूरा वल्द दौला का ही कब्जा रहा है। इस प्रकार वादीगण का ना तो खातेदारी अधिकार उक्त भूमि में रहा है और ना ही किसी पर्टिकुलर जगह में उनका कब्जा वैध रहा है। वादीगण का तो कब्जा खसरा नम्बर 488 में 0.08 है. में होने के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट में दर्शित किया गया है वह भी किसी खातेदारी अधिकार के तहत वैध कब्जा नहीं रहा था। इसलिये विचाराधीन निर्णय व डिक्री निरस्त करने योग्य है। अपीलान्ट विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार के रूप में सयोजित नहीं था किन्तु विचारण न्यायालय के निर्णय के जरिये खसरा नम्बर 482 रकबा 0.28 है. को चारागाह घोषित कर दिया गया जबकि उक्त भूमि मे स्वीकृत रूप से सन 1983 से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है जिसमें ग्राम केरपुरा में एक मात्र राजकीय स्कूल में अपीलान्ट के बच्चे पढ़ते है। उक्त स्कूल जहां अवस्थित है उस भूमि में चारागाह घोषित कर दिये जाने से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चो का हित प्रभावित होने से अपीलांट उनके अभिभावक के नाते स्कूल की भूमि के हितो की रक्षार्थ उक्त अपील प्रस्तुत कर रहे है। चुंकि तहसीलदार एवं स्कूल के प्रिंसिपल या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने वादीगण से सांठ–गांठ करके उक्त विचाराधीन निर्णय पारित करवा लिया है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट को उक्त अपील प्रस्तुत करनी पड़ रही है। जिसके लिए एक अलग से प्रार्थना पत्र अ. धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 ने एक वाद रिकार्ड संशोधन व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 186 वाके ग्राम केरपुरा तहसील दांतारामगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। राजस्व रिकार्ड नकल नामांतकरण संख्या 165 दिनांक 01.08.80 के द्वारा भमि पुराने खसरा नम्बर 186 रकबा 7 बीघा चारागाह में से 3 बीघा 10 बिश्वा आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत लामिया को आवंटन की गई है यह एक स्वीकृत तथ्य है उक्त आवंटनशुदा भूमि के खसरा नम्बर 186/1 मि. रकबा 0.88 है. गैर मुमकिन आबादी दर्ज की गई है जो प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमांबदी आदि से प्रमाणित है। मिलान क्षेत्रफल से खसरा नम्बर 186/1 के नये खसरा नम्बर 487, 488 व 482 कायम किये गये है। तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से खसरा नम्बर 487, 488 पेंसिली लाईन के अन्दर लट्ठा शीट में अंकन होना दर्ज है। खसरा नम्बर 482 पुराने खसरा नम्बर 186 के पूर्व साईड के कोने में गलत रूप से गैर मुमकिन आबादी दर्ज की गई है जबकि ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु एक ही स्थान पर आवंटन हुई है जो लट्ठा शीट में अंकित पेंसिली लाईन से साबित है। इससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 482 रकबा 0.28 है. भू–प्रबंध के दौरान गलत रूप से आबादी दर्ज हुई है जबकि पुरानी लट्ठार शीट में पेंसिली लाईन से जो तरमीम की गई है उसके अनुसार आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन खसरा नम्बर 186 में अंकित रास्ते से उत्तर साईड में तथा खसरा नं. 185 से पश्चिमी साईड में आवंटन होना रिकार्ड से प्रमाणित है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों में भी पुराने घरों का विनियमितीकरण करते हुए पट्टा जारी किया गया है, स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है तथा न्यायालय सिविल न्यायाधीश दांतारामगढ़ से जारी मौका कमिश्नर रिपोर्ट में भी रास्ते से (सड़क) उत्तर साईड में वादियागण का कब्जा प्रमाणित है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पंच मौका कमीशन रिपोर्ट में भी वादियागण का 40–50 वर्ष पुराना कदीमी बाड़ा व कब्जा होना अंकित हैं। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में विधि अनुसार सुनवाई कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत

भू-प्रबन्ध
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की गई हैं। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। अपील धारा 5, धारा 96 व गुणावगुण पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार किये जाते है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि पुराना खसरा नम्बर 186 रकबा 7 बीघा किस्म चारागाह की स्थिति इस प्रकार थी कि जिलाधीश महोदय, उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार के आदेश दिनांकित 11.07.1980 के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 186 रकबा 7 बीघा में आबादी विस्तार हेतु आधार भूमि अर्थात 3 बीघा 10 बिश्वा भूमि की किस्म परिवर्तन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रसारित किया गया। उक्त आदेश के अनुसरण में नामान्तकरण संख्या 165 दिनांकित 01.08.1980 तहसीलदार द्वारा स्वीकृत कर 3 बीघा 10 बिश्वा भूमि कि किस्म आबादी की जाकर खातेदार ग्राम पंचायत लामिया को घोषित किया गया तथा नवीन खसरा नम्बर 186/1 सृजित किए गए। तथा शेष आधी भूमि के नवसृजित खसरा नम्बर 186/2 की किस्म चारागाह रही। किन्तु उक्त अंकन राजस्व नक्शा में तरमीम नहीं किया जा सका था।

सेटलमेंट के दौरान मौके पर आबादी के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 186/1 रकबा 0.88 है. के नवीन खसरा नम्बर परिवर्तित किए गए। बाद में खसरा नम्बर 485 में से 0.09 है. भूमि ग्राम सेवा सहकारी समिति लांमियां को आवंटित होने से नवीन खसरा नम्बर 485/1 रकबा 0.09 है. किस्म गैर मुमकिन हुआ तथा शेष खसरा नम्बर 485 रकबा 0.64 है. गैर मुमकिन चारागाह बना था।

विचारण न्यायालय ने यह माना कि आबादी विस्तार के आदेश में ग्राम पंचायत लामिया को आवंटित भूमि एक ही स्थान पर हुई है जबकि आबादी विस्तार हेतु आदेश दिनांकित 11.07.1980 में कही पर यह वर्णित नहीं था कि आबादी हेतु 3 बीघा 10 बिश्वा भूमि एक ही स्थान पर आवंटित की जाती है एव ना ही इस बात का अंकन नामान्तकरण संख्या 165 में किया गया था। बल्कि जिलाधीश आदेश 11.07.1980 में यह अंकित किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गया कि उक्त भूमि का किस्म परिवर्तन निम्न शर्तो की पूर्ति होने पर ही प्रभावशाली होगा। उक्त शर्तो में शर्त संख्या 3 इस प्रकार थी 'ग्राम पंचायत भूमि का एक नक्शा तैयार करेगी जिससे इस क्षेत्र के प्रस्तावित विभाजित प्लाटस दिखायेगी और यह नक्शा तहसीलदार से मंजूर करवाया जायेगा।' उक्त शर्त की पालना ग्राम पंचायत लामिया द्वारा नहीं की गई, ना तो कोई नक्शा तैयार किया गया व ना ही तहसीलदार से मंजूर करवाया था। इस प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली में नहीं है।

तहसीलदार के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी कही पर यह अंकित नहीं है कि आबादी की भूमि एक साथ नक्शे में दर्शायी गयी है। नक्शा लट्ठा मे पेंसिली लाइन का गलत विधि विरूद्ध विवेचन किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार की तथ्यात्क रिपोर्ट में वर्णन किया गया कि खसरा नम्बर 488 रकबा 0.50 है. में से 0.08 है. भूमि पर वादीगण का कब्जा है, कच्चे मकानात बना रखे है, अपने पशु बांध रखे है एवं इसी रिपोर्ट में अकित किया गया कि खसरा नम्बर 482 रकबा 0.28 किस्म गेर मुमकिन आबादी में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन बना हुआ है। इसी रिपोर्ट में अंकित किया गया कि सेटलमेंट के दौरान मौके पर आबादी के अनुसार नवसृजित खसरा नम्बर 486, 487 व 482 का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया गया है।

इस रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 482 रकबा 0.28 है. भूमि में एक राजकीय स्कूल जो कि सन 1983 से संचालित है को चारागाह घोषित करने का आदेश जारी कर दिया एवं एक अलग खससरा नम्बर 486 जिसका कोई विवाद ही नहीं था कि सम्पूर्ण भूमि 0. 06 है. व खसरा नम्बर 485 में से रकबा 0.22 है. भूमि को आबादी भूमि घोषित करने का निर्णय कर दिया। जबकि खसरा नम्बर 486 के रकबे का कोई विवाद नहीं था एव ना ही इस संबंध में तहसीलदार के तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगायी गयी थी।

विचारण न्यायालय में वादीगण ने वादपत्र में अकित किया कि वे इसरदान जी के फुटस्टेप पर भूमि पर काबिज है जबकि खसरा गिरदावरियों में संवत 2009 से 2035 के मध्य खसरा संख्या 186 में भूरा वल्द दौला का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ही कब्जा रहा है। वादीगण का तो कब्जा खसरा नम्बर 488 में 0.08 है. में होने के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट में दर्शित किया गया है।

अपीलान्ट विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार के रूप में सयोजित नहीं था किन्तु विचारण न्यायालय के निर्णय के जरिये खसरा नम्बर 482 रकबा 0.28 है. को चारागाह घोषित कर दिया गया जबकि उक्त भूमि मे स्वीकृत रूप से सन 1983 से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है जिसमें ग्राम केरपुरा में एक मात्र राजकीय स्कूल में अपीलान्ट के बच्चे पढ़ते है।

स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं मौके की सम्पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त किये बिना, विवेचन व विश्लेषण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर, पुनः भूमिधारी तहसीलदार से विस्तृत मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर